न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **14 / 2023** अन्तर्गत धारा 183, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. शकुरखान पुत्र राणेखान 2. पठानखान पुत्र राणेखान 3. अनवरखान पुत्र राणेखान 4. सदीकखान पुत्र राणेखान 5. जुसबखान पुत्र राणेखान के का. मुकाम 5.1 सुगरी पत्नी जुसबखान 5.2 भूरेखान पुत्र जुसबखान 5.3 रजाकखान पुत्र जुसबखान 5.4 सानिया पुत्री जुसबखान जाति तेली, निवासी तेजरावा स्वागीयां तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. आसुराम पुत्र उदाराम 2. गोरधनराम पुत्र उदाराम 3. निम्बाराम पुत्र उदाराम 4. हुकमाराम पुत्र उदाराम 5. खरथाराम पुत्र पुराराम 6. खेराजराम पुत्र पुराराम 7. रूपाराम पुत्र पुराराम 8. भेराराम पुत्र किसनाराम 9. रामाराम पुत्र किसनाराम जाति जाट, निवासी तेजरावा स्वागींयाजी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 10. जानू पुत्र खमीशा 11. नूरा पुत्र खमीशा 12. मांगा पुत्र खमीशा 13. सलीमान पुत्र खमीशा 14. सरीफो पत्नी खमीशा जाति तेली, निवासी तेजरावा स्वागीयांजी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 15. शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक भींयाड 16. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– वादीगण अधिवक्ता – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 04.07.2025

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा तेजरावा स्वागीयांजी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 592/496 रकबा 2.3876 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 584/496 से नवसृजित खसरा नम्बर 711/584 रकबा 3.1484 हैक्टेयर के आये हुए है। जिस पर वादीगण का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। वादीगण की अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाई हुई है। वादीगण की उक्त आराजी के सेढा सेढ ही प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि आयी हुई है। उक्त सेढा को लेकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हर समय विवाद रहता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वादीगण के शांतिप्रिय एवं ग्रामीण होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण, वादीगण की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर अपना पुख्ता कब्जा करने पर आमादा है। नेखमबंदी के दौरान वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाये जाने पर उन्हे कब्जा हटाने हेतु कहा गया तब प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा हटाने से मना कर दिया तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी में जबरदस्ती व बलपूर्वक प्रवेश कर उसे बेदखल करने की धमकियां दी गई। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी के वादीगण रेकर्डेड खातेदार [illegible] मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में किये गये जबरन अतिक्रमण को हटाया जाकर उन्हे बेदखल करते हुए विवादित [illegible] का कब्जा वादीगण को दिलवाने तथा वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का दखल नहीं करने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:08:40 IST
Reason: SelfAttested

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

तहसीलदार शिव से तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पूर्व में की गई नेखमबंदी की मौका फर्द व संलग्न नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 584/496 के कोना संख्या 4 व 5 पर पड़ौसी खसरा नम्बर 497 व 498 के खातेदार का कब्जा पाया गया तथा खसरा नम्बर 592/496 के कोने पर माठ को लेकर पड़ौसी खसरा नम्बर 601/484 के प्रतिवादीगण खातेदारान् द्वारा वादीगण की भूमि पर कब्जा होना पाया गया है तथा कब्जा को लेकर विवाद है। चूंकि तहसीलदार मौका रिपोर्ट एवं नेखमबंदी मौका फर्द के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी को लेकर विवाद है तथा वादीगण की भूमि के कोनों पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। उक्त स्थिति में ओर साक्ष्य लिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादीगण की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को हटाया जाकर जब्त करते हुए कब्जा वादीगण को दिलवाने तथा वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को हटाकर मौके पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाने का निवेदन किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पूर्व में की गई नेखमबंदी की मौका फर्द व नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 584/496 के कोना संख्या 4 व 5 पर पड़ौसी खसरा नम्बर 497 व 498 के खातेदार का कब्जा पाया गया तथा खसरा नम्बर 592/496 के कोने पर माठ को लेकर पड़ौसी खसरा नम्बर 601/484 के प्रतिवादीगण खातेदारान् द्वारा वादीगण की भूमि पर कब्जा होना पाया गया है तथा कब्जा को लेकर विवाद होना साबित है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुस्थित रहे है। अतः उक्त स्थिति में वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया हुआ साबित होने पर वादीगण अपनी खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा तेजरावा स्वागींयाजी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 592/496 रकबा 2.3876 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 584/496 से नवसृजित खसरा नम्बर 711/584 रकबा 3.1484 हैक्टेयर में भूमि की पैमाईश हेतु राजस्व टीम का गठन कर पैमाईश करने हेतु तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता है, साथ ही विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का अतिक्रमण व कब्जा पाया जाने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाकर बेदखली की कार्यवाही करते हुए कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त की जावें। तदनुसार डिक्रि पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:08:40 IST
Reason: SelfAttested